

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 418 No. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2005/आश्विन 7, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2005/ASVINA 7, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 616(अ). — भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2005 [सगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2005], में दिन, महीना और वर्ष ''2 अक्तूबर, 2005'' के लिए दिन, महीना और वर्ष ''1 जनवरी, 2006'' प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पी एच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th September, 2005

G.S.R. 616(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 496(E) Corrigendum dated 22nd July, 2005, to the [Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendments) Rules, 2005], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year, "2nd day of October 2005", the day, month and year "1st day of January, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.